न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 06/2020

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
चुनाराम पुत्र स्व.चौथाराम जाति सीरवी(राठौड) निवासी बेरा खील ग्राम जैलवा तह.बिलाडा जिला जोधपुर		1. गंगा पत्नि धूलाराम 2. सुजाराम पुत्र धूलाराम जातियान सीरवी(राठौड) निवासीगण बेरा खील ग्रम जैलवा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 3. सरपंच ग्राम पंचायत जैलवा, पंचायत समिति बिलाडा 4. तहसीलदार तहसील बिलाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 363 ग्राम जैलवा, तहसील बिलाडा जो सरपंच ग्रम पंचायत जैलवा,पंचायत समिति बिलाडा दिनांक 21.11.2000 को स्वीकार किया गया।

1. अपीलान्टस की ओर से श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

:: निर्णय :: दिनांक

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जैलवा, पटवार हल्का बिजासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 466 रकबा 0.9870 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जो पूर्व में खातेदार जोगाराम, मांगीलाल, भुराराम पिसरान मंगाराम, भंवरलाल पुत्र गेनाराम, कालुराम, हरजीराम,सुराराम पिसरान रतनाराम जाति सीरवी निवासी जैलवा की खातेदारीसुदा थी। उपरोक्त समस्त खातेदारों से उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि को अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट 2 की माता रेस्पोडेन्ट सं. 1 गंगादेवी द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. [illegible] से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

06.07.1992 को खरीद की। क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वक्त खरीद नाबालिग थे। इसलिये अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की जरिये कुदरती वलिया की हैसियत से उक्त खसरे की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से खरीद की। उक्त बैचाननामा में भी सोनीदेवी व गंगादेवी का नाम जरिये कुदरती वलिया की हैसियत से लिखा हुआ है। इसी प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 बालिग होने पर बालिग का म्यूटेशन हेतु हल्का पटवारी को आवेदन किया तथा हल्का पटवारी द्वारा म्यूटेशन सं. 363 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग दर्ज किया। जिसे रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा दिनांक 21.11.2000 को स्वीकृत किया। इस प्रकार उक्त खसरे की भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का 1/2 हिस्सा है। इसी हक व हिस्से के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 उपरोक्त खसरे की भूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है। अपीलान्ट की माता सोनीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील के संक्षिप्त तथ्य के पद सं.1 में वर्णित खसरे की भूमि में अपने 1/2 हक व हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की नकल की जरूरत होने के कारण अपीलान्ट दिनांक 19.06.2020 को हल्का पटवारी ग्राम जैलवा तहसील बिलाडा के पास उक्त हक व हिस्से की अपीलान्ट की भूमि के संबंध में चालु जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी को नियमानुसार शुल्क अदा कर प्राप्त की तो उक्त जमाबन्दी की नकल देखने पर अपीलान्ट को जानकारी में आया कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु अपीलान्ट का 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट सं.2 का भी 1/4 हिस्सा दर्ज है। 1/4 हिस्सा अपीलान्ट की माता सोनीदेवी के नाम से व 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी के नाम से दर्ज है। जबकि गंगादेवी व सोनीदेवी का उक्त खसरे की भूमि मे कानूनन किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी ग्राम जैलवा से पूछा कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज कैसे हुआ? तब हल्का पटवारी ग्राम जैलवा ने रेकर्ड देखकर अपीलान्ट को बताया कि म्यूटेशन सं. 363 के जरिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग का म्यूटेशन दर्ज करते समय अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का नाम भी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

म्यूटेशन में खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया तथा उक्त म्यूटेशन के आधार पर ही अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का नाम बतौर खातेदार चालु जमाबन्दी मे दर्ज किया गया। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी को नियमानुसार शुल्क अदा कर म्यूटेशन सं. 363 की सत्यप्रतिलिपि उसी दिन यानि दिनांक 19.06.2020 को प्राप्त की तथा उक्त म्यूटेशन की नकल देखने पर अपीलान्ट को प्रथम बार यह जानकारी में आया कि उक्त म्यूटेशन के जरिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के साथ अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का भी बतौर खातेदार नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि म्यूटेशन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग के संबंध में स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन के जरिये अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का कुदरती वलिया की हैसियत से दर्ज नाम हटाना था, परन्तु ऐसा उक्त म्यूटेशन में नहीं किया गया । इसलिये रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन सं. 363 दिनांक 21.11.2000 ग्राम जैलवा तहसील बिलाडा के विरूद्ध अपील अपीलान्ट द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। ग्राम जैलवा,पटवार हल्का बिजासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 466 रकबा 0.9870 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जो पूर्व में खातेदार जोगाराम, मांगीलाल, भुराराम पिसरान मंगाराम, भंवरलाल पुत्र गेनाराम, कालुराम, हरजीराम,सुराराम पिसरान रतनाराम जाति सीरवी निवासी जैलवा की खातेदारीसुदा थी। उपरोक्त समस्त खातेदारों से उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि को अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट 2 की माता रेस्पोडेन्ट सं. 1 गंगादेवी द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 06.07.1992 को खरीद की। क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वक्त खरीद नाबालिग थे। इसलिये अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की जरिये कुदरती वलिया की हैसियत से उक्त खसरे की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से खरीद की। उक्त बैचाननामा में भी सोनीदेवी व गंगादेवी का नाम जरिये कुदरती वलिया की हैसियत से लिखा हुआ है। इसी प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 बालिग होने पर बालिग का म्यूटेशन हेतु हल्का पटवारी को आवेदन किया तथा [illegible]टवारी द्वारा म्यूटेशन सं. 363 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग दर्ज किया [illegible] रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा दिनांक 21.11.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

2000 को स्वीकृत किया। इस प्रकार उक्त खसरे की भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का 1/2 हिस्सा है। इसी हक व हिस्से के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 उपरोक्त खसरे की भूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है। अपीलान्ट की माता सोनीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा आलोच्य म्यूटेशन सं. 363 स्वीकृत करते समय अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का नाम भी बतौर खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि गंगादेवी व सोनीदेवी का उक्त खसरे की भूमि में कानूनन किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है तथा आलोच्य म्यूटेशन सं. 363 के जरिये रेस्पोडेन्ट सं.3 को अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से ही बालिग के रूप में स्वीकृत करना चाहिये था, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा ऐसा नहीं किया गया। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 41 (2) (ग) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संरक्षक द्वारा प्रतिपाल्य की अप्राप्तवयता की उम्र में उसके नाम से खरीद की गई सम्पति पर से प्रतिपाल्य की अप्राप्तवयता का अन्त हो जाने पर यानि प्रतिपाल्य बालिग होने पर संरक्षक के तौर पर समस्त प्राधिकार खरीदसुदा सम्पति पर से समाप्त होकर बालिग में निहित हो जाते है। उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 बालिग होने से अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.1 गंगादेवी का उक्त खसरे की भूमि पर बतौर संरक्षक के तौर पर प्राधिकार समाप्त हो गये, फिर भी बालिग के आधार पर म्यूटेशन सं. 363 रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा स्वीकृत करते समय अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.1 गंगादेवी का नाम भी उक्त आलोच्य म्यूटेशन में बतौर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। इसलिये उक्त आलोच्य म्यूटेशन उपरोक्त विधिक प्रावधानों के विपरित स्वीकृत किया होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। इसी प्रकार आलोच्य म्यूटेशन सं.363 की प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को उक्त म्यूटेशन की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 19.06.2020 को प्राप्त करने पर हुई। इसलिये आलोच्य म्यूटेशन सं. 363 की जानकारी से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आलोच्य म्यूटेशन सं. 363 दिनांक 21.11.2000 ग्राम जैलवा तहसील बिलाडा को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेन्ट सं.4 तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

बिलाडा को आदेश दिया जावे कि वो अपील के संक्षिप्त तथ्य के पद सं. 1 में वर्णित खसरान की भूमि के संबंध में पुनः म्यूटेशन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से बालिग के आधार पर दर्ज करे। अन्य उचित आदेश बहक अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स हो पारित फरमावे।

अपीलान्ट की ओर से अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद पेश किया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जैलवा,पटवार हल्का बिजासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 466 रकबा 0.9870 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जो पूर्व में खातेदार जोगाराम, मांगीलाल, भुराराम पिसरान मंगाराम, भंवरलाल पुत्र गेनाराम, कालुराम, हरजीराम,सुराराम पिसरान रतनाराम जाति सीरवी निवासी जैलवा की खातेदारीसुदा थी। उपरोक्त समस्त खातेदारों से उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि को अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट 2 की माता रेस्पोडेन्ट सं. 1 गंगादेवी द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 06.07.1992 को खरीद की। क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वक्त खरीद नाबालिग थे। इसलिये अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की जरिये कुदरती वलिया की हैसियत से उक्त खसरे की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के नाम से खरीद की। उक्त बैचाननामा में भी सोनीदेवी व गंगादेवी का नाम जरिये कुदरती वलिया की हैसियत से लिखा हुआ है। इसी प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 बालिग होने पर बालिग का म्यूटेशन हेतु हल्का पटवारी को आवेदन किया तथा हल्का पटवारी द्वारा म्यूटेशन सं. 363 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग दर्ज किया। जिसे रेस्पोडेन्ट सं.3 द्वारा दिनांक 21.11.2000 को स्वीकृत किया। इस प्रकार उक्त खसरे की भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का 1/2 हिस्सा है। इसी हक व हिस्से के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 उपरोक्त खसरे की भूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है। अपीलान्ट की माता सोनीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील के संक्षिप्त तथ्य के पद सं.1 में वर्णित खसरे की भूमि में अपने 1/2 हक व हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर [illegible] प्राप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज चालु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी की नकल की जरूरत होने के कारण अपीलान्ट दिनांक 19.06.2020 को हल्का पटवारी ग्राम जैलवा तहसील बिलाडा के पास उक्त हक व हिस्से की अपीलान्ट की भूमि के संबंध में चालु जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी को नियमानुसार शुल्क अदा कर प्राप्त की तो उक्त जमाबन्दी की नकल देखने पर अपीलान्ट को जानकारी में आया कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु अपीलान्ट का 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट सं.2 का भी 1/4 हिस्सा दर्ज है। 1/4 हिस्सा अपीलान्ट की माता सोनीदेवी के नाम से व 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी के नाम से दर्ज है। जबकि गंगादेवी व सोनीदेवी का उक्त खसरे की भूमि मे कानूनन किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं है। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी ग्राम जैलवा से पूछा कि अपीलान्ट का नाम चालु जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज कैसे हुआ? तब हल्का पटवारी ग्राम जैलवा ने रेकर्ड देखकर अपीलान्ट को बताया कि म्यूटेशन सं. 363 के जरिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग का म्यूटेशन दर्ज करते समय अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का नाम भी उक्त म्यूटेशन में खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया तथा उक्त म्यूटेशन के आधार पर ही अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का नाम बतौर खातेदार चालु जमाबन्दी मे दर्ज किया गया। तब अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी को नियमानुसार शुल्क अदा कर म्यूटेशन सं. 363 की सत्यप्रतिलिपि उसी दिन यानि दिनांक 19.06.2020 को प्राप्त की तथा उक्त म्यूटेशन की नकल देखने पर अपीलान्ट को प्रथम बार यह जानकारी में आया कि उक्त म्यूटेशन के जरिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 के साथ अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का भी बतौर खातेदार नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि म्यूटेशन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं.2 का बालिग के संबंध में स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन के जरिये अपीलान्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेन्ट सं.2 की माता गंगादेवी का कुदरती वलिया की हैसियत से दर्ज नाम हटाना था, परन्तु ऐसा उक्त म्यूटेशन में नहीं किया गया । अपीलान्ट द्वारा आलोच्य म्यूटेशन सं. 363 की प्रथम बार प्रार्थना पत्र के पद सं. 3 में वर्णित अनुसार दिनांक 19.06.2020 को हल्का पटवारी ग्राम जैलवा से सत्यप्रतिलि[illegible] करने पर होने से तथा उक्त तारीख को जानकारी होने के पश्चात [illegible] में प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पे"ा कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद सुमार फरमाई जावे व अन्य उचित आदे"ा जो बहक अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस हो पारित फरमावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 को न्याय हित में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.02.2021 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जबाव ही आवश्यकता नही है। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। जिसका रेस्पोडेण्ट्स द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही किया, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 363 के विरूद्ध पेश की है। जो म्यूटेशन अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का बालिग का म्यूटेशन भरा गया। उक्त म्यूटेशन में जरिये कुदरती वलिया अपीलाण्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की माता गंगादेवी का भी नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। जो कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 41(2)(ग) में वर्णित प्रावधानों के विपरित दर्ज किया है क्योकि उक्त प्रावधानों के अनुसार संरक्षक द्वारा प्रतिपाल्य की अप्राप्तवयता की उम्र में उसके नाम से खरीद की गयी सम्पति के तौर पर समस्त प्राधिकार खरीदसुदा सम्पति पर से समाप्त होकर बालिग में निहित हो जाते हहै। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बालिग होने से अपीलाण्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की माता गंगादेवी का उपरोक्त खसरे की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested

बतौर संरक्षक के तौर पर प्राधिकार समाप्त हो गये। फिर भी बालिग के आधार पर आलौच्य म्यूटेशन संख्या 363 रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट की माता सोनीदेवी व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की माता गंगादेवी का नाम उक्त म्यूटेशन में बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किया है, जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार गलत दर्ज किया है। इसलिए उक्त म्यूटेशन संख्या 363 निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 363 दिनांक 21.11.2000 ग्राम जेलवा को निरस्त किया जाता है व रेस्पोडेण्ट संख्या 4 तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो निरस्त का नोट उक्त म्यूटेशन की मूल प्रति पर अंकित करे व खसरा नम्बर 466 ग्राम जेलवा की भूमि के संबंध में पुनः म्यूटेशन अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम से बालिग के आधार पर दर्ज कर पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करे। है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल"Jमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:01 IST
Reason: SelfAttested